116

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा
जिला– शेखपुरा

महाशय,

नगर परिषद, शेखपुरा के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1754 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

-ह-

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14566/117 दिनांक– 27/7/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा

(विश्वम्भर कुमार) 27/7/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1754/15–16

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर परिषद, शेखपुरा
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2013–14 एवं 2014–15
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट – II में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	8.02.2016 से 22.2.2016
5	**प्रशासन**	
	नगर सभापति	कार्य अवधि
	श्रीमती पिंकी देवी	1.4.2013 से 31.3.2015
	उप महापौर	कार्य अवधि
	श्री अजय कुमार	1.4.2013 से 31.3.2015
	नगर आयुक्त	
	श्री सुधांशु शेखर	1.4.2013 से 22.2.2014
	श्री ज्ञान प्रकाश	22.2.2014 से 31.3.2015
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री रणजीत कुमार कर्ण, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रवि शंकर प्रभाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रमेश कुमार अभिषेक, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री भुवन भास्कर, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ, दिनांक 22.02.2016 को

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	339409
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	2217168
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि VI	2729237

(विवरण परिशिष्ट– पर)

12. बजट प्राक्कलन

क. बजट प्राक्कलन के विरूद्ध कम लक्ष्यों की प्राप्ति

नगर परिषद शेखपुरा द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलना पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय– व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के रोकड़ बहियों में दर्शाये गये प्राप्तियों एवं व्ययों की तुलना बजट में दर्शाये गये अनुमानित आय–व्यय से करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में बजट प्रावधानों के विरूद्ध निगम कार्यालय द्वारा कम लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

विवरण	**वर्ष 2013–14 (राशि ₹ में)**	**वर्ष 2014–15 (राशि ₹ में)**
बजट के अनुसार अनुमानित आय	170874275	298677100
वास्तविक आय	103612251	85961350
बजट का प्रतिशत	**60.6**	**28.78**
बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	244534000	303244000
वास्तविक व्यय	63376429	67771483
बजट का प्रतिशत	**25.92**	**22.35**

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध पॉच प्रतिशत से अधिक राशि का विचलन (कम/अधिक) नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद शेखपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में पारित बजट प्रावधानों के विरूद्ध आय तथा व्यय में क्रमशः 60.6 तथा 25.92 प्रतिशत एवं 28.78 एवं 22.35 प्रतिशत का विचलन पाया गया।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि व्यय बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। लेकिन नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि करों की वसूली में कमी तथा सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि में अंतर होने के कारण एवं योजनाओं के कियान्वयन में तकनीकी विलम्ब होने के कारण बजट प्राक्कलन की राशि में अंतर होता रहता है।

ख. निरस्त

ग बजट प्राक्कलन बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थानीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है। लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम– 132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तिविकी में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है। लेकिन नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय– व्यय में अत्यधिक अंतर था।

जवाब में बताया गया कि सुझाव के अनुसार आगे से कार्रवाई की जाएगी।

13 वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद शेख़पुरा द्वारा उपलब्ध कराये गए आय– व्यय विवरणी के अनुसार वित्तीय अधिदृश्य निम्न प्रकार था :

क्रम संख्या		2013–14	2014–15
1	प्रारम्भिक शेष	126230463.01	166466285.01
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति		
क	अनुदान	97722769	83325502
ड.	स्वयं स्त्रोत, ब्याज एवं अन्य	5889482	2635848
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	103612251	85961350
4	कुल प्राप्ति	229842714.01	252427635.01
5.	कुल व्यय	63376429	67771483
6.	अंतशेष	166466285.01	184656152.01

112

14. 31.03.2015 को बैंक खातों के अंतशेष तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में अन्तर

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत लेखापाल की रोकड़बही, सहायक रोकड़बही एवं बैंक पासबुक की नमूना जॉच में दिनांक 31.03.2015 के रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अंतशेष में 27260280.76 का अंतर पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है–

क. दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ बही के अंतशेष का विवरण

क्रम	रोकड़बही का नाम	31.03.2015 को रोकड़बही का अंतशेष
1	2	3
1	बी0आर0जी0एफ0	5955640.00
2	आवास निर्माण एवं आधारभूत संरचना	4267826.00
3	सा0सु0पेंशन योजन	18569081.00
4	एस0जे0एस0आर0बाई0 ADB	10427862.75
	एस0जे0एस0आर0बाई0, एस.बी.आई.	8395.20
	एस0जे0एस0आर0बाई0, केनरा बैंक	32134.00
5	13वॉ वित आयोग	6955660.00
6	नूलूम	370973.00
7	सांसद मद	34796.00
8	पार्षद मद	75789.00
9	विधायक मद	99628.00
10	आतंरिक पी0 एल0	33739505.18
11	वेतन	22282.00
12	आंतरिक विविध	632470.95
13	विविध	92147.00
14	राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम	1155025.00
15	12वॉ वित आयोग	1450803.94
16	चतुर्थ राज्य वित आयोग	37581932.00
17	राज्य योजना	32723474.00
18	आंतरिक सामान्य	19621786.95
19	मैचिंग ग्रान्ट	5420493.00
20	वार्ड पार्षद सभापति	589367.00
21	+2 विद्यालय	1412714.00
22	नगर प्रबंधक	133551.00
23	अल्प लागत योजना	2215745.00
24	कबीर अन्त्येष्ठि	1067068.00
		184656149.97

ख. लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक का दिनांक 31.03.2015 के अंतशेष का विवरण

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.03.2015 को बैंक पासबुक का अंतशेष
एस.बी.आई.	30380144648	5998546.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110006755	4267826.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005300	5528168.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005299	90333.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005305	20582.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005302	150381.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005303	41888.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005307	34407.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005772	20202.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005301	198000.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005304	100666.00
बैक ऑफ इन्डिया	459210110005306	93602.00
एस.बी.आई.	11373363468	10427862.75
		8559.20
केनरा बैंक	2474101000275	32782.00
एस.बी.आई.	11419089825	1782501.94
यूनियन बैंक	710002010000461	3709735.00
.—	11373336637	8992628.95
—	11373370497	1177556.04
—	31514518859	123551.00
—	31065443958	1412714.00
—	11419089473	8559.20
—	5348135	7036923.00
—	3308011003728	1887870.00
—	844800102000101	99463695.18
—	459210110006775	4267826.00
—	11419089858	518503.95
कुल राशि		157395869.21

लेखापरीक्षा में सभी बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया फिर भी उपलब्ध कराये गए पासबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में पासबुक का अंतशेष 157395869.21 था जबकि रोकड़बही का अंतशेष ₹184656149.97 था। इस प्रकार रोकड़ बही के अंतशेष से बैंक पासबुक का 27260283.76 कम था।

जवाब में यह बताया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जाएगी। लेखापाल के पिता के आकस्मिक निधन होने के कारण उनके अवकाश पर होने के कारण सभी बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं

(110

कराया जा सका है। उनके कार्यभार ग्रहण करते हीं रोकड़ शेष एवं बैंक पासबुक के अंतर का समाधान कर लिया जाएगा और लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः सभी बैंक पासबुक के 31.03.2015 को अन्तशेष की गणना कर रोकड़ बही के अन्तशेष से मिलान कर बैंक समाधान विवरणी तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

15. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है।

नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया।

जवाब में बताया गया कि नियमित लेखापाल नहीं होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। भविष्य में किया जाएगा। अतः लेखापरीक्षा में तदनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र</u>

<u>(DISCLAIMER CERTIFICATE)</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

भाग – II क– शून्य

भाग – II ख

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षण

क. फैशन डिजायनिंग एवं ब्यूटिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस. आर. वाई.) के अंतर्गत शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवार के युवक युवतियों को फैशन डिजाइनिंग एवं व्यूटिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु नगर परिषद शेखपुरा एवं राघो सेवा संस्थान के बीच दिनांक 7.11.2012 को एकरारनामा हुआ। एकरारनामा

के पश्चात् नगर परिषद के पत्रांक 1077 दिनांक 21.12.2012 द्वारा सचिव, राघो सेवा संस्थान, चॉदनी चौक, सिनेमा रोड, शेखपुरा को ब्यूटिशियन कोर्स के लिए 21 एवं फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, इब्रायडरी पेंटिंग कोर्स के लिए 40 आवेदकों की सूची प्रेषित की गयी जिसमें से 39 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़बही एवं संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि राघो सेवा संस्थान को अब तक कुल ₹440393/– का भुगतान किया गया है जो निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	चेक संख्या	तिथि	राशि (₹ में)	अभियुक्ति
1	0899771	27.6.2013	263000	अग्रिम
2	548123	30.6.2015	177393	टूल किट हेतु
			440393	

संस्था द्वारा किन किन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया उसकी सूची संचिका में नहीं पायी गयी। संचिका में उपलब्ध अभिश्रव के अनुसार फैशन डिजाइनिंग के लिए 40 टूल किट का क्रय किया गया और संस्था द्वारा 40 टूल किट का विपत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु बाद में उसे काट कर 39 बनाया गया और नोटिंग में भी 39 प्रशिक्षणार्थियों को ही टूल किट वितरित करने का उल्लेख किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया परन्तु संचिका में टूल किट वितरण से संबंधित 40 फोटोग्राफ पाया गया जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। ब्यूटीशियन कोर्स के 21 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट का अभिश्रव संचिका में पाया गया परन्तु उन्हें टूल किट वितरित करने का फोटोग्राफ नहीं पाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 में उक्त प्रशिक्षण के लिए टूल किट में बैग का प्रावधान नहीं था परन्तु संस्था को 60 बैग के लिए ₹27000/– का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया जो अनियमित था। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 एवं संस्था के साथ किये गए एकरारनामा के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था तथा शेष इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार कराने में सहायता करना था। इस संदर्भ में नगर परिषद के पत्रांक 1117 दिनांक 25.10.2013 द्वारा राघो सेवा संस्थान से अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से तथा कितने प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, इसका विवरण उपलब्ध कराएँ। परन्तु संस्था द्वारा नगर परिषद के पत्र के आलोक में कोई जबाव नहीं दिया गया जबकि इस पत्र के जारी होने के दो वर्ष बीत चुके है। संस्था को दिनांक 27.6.2013 को दिए गए अग्रिम की राशि ₹263000/– दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद असमायोजित है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संचिका में संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाने एवं रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद जांचोपरांत उचित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित किया गया। 40 फोटोग्राफ में एक प्रशिक्षणार्थी पर संदेह होने

108

के कारण केवल 39 का भुगतान किया गया। ब्यूटिशियन कोर्स के लिए टूल किट वितरित करने से संबंधित फोटोग्राफ संस्था से मंगा लिया जाएगा। संस्था को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने से संबंधित प्रमाण देने के बाद ही पूर्ण भुगतान किया जाएगा और उसी समय बैंग से संबंधित ₹27000/– की कटौती कर ली जाएगी।

जबाव के आलोक में संस्था को किए टूल किट के अनियमित भुगतान की वसूली संस्था अथवा संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय। केवल टूल किट का वितरण करने से प्रशिक्षण का पूरा होना नहीं माना जा सकता। प्रशिक्षणार्थियों की सूची, सूची के अनुसार प्रशिक्षणोपरांत दिया गया प्रमाण पत्र एवं रोजगार मुहैया कराने की जॉच की जाय और लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय। तब तक व्यय की गयी राशि ₹413393/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है। साथ ही टूल किट के अंतर्गत बैग की क्रय से संबंधित अनियमित भुगतान ₹27000/– संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली जाय।

ख. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेड में प्रशिक्षण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस. आर. वाई.) के अंतर्गत शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवार के युवक युवतियों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेड में प्रशिक्षण देने हेतु नगर परिषद शेखपुरा एवं जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र रूकनपुरा, पटना के बीच दिनांक 7.11.2012 को एकरारनामा हुआ। एकरारनामा के पश्चात् नगर परिषद के पत्रांक 1078 दिनांक 21.12.2012 द्वारा सचिव जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, 204 डी जगमानो श्री गार्डेन, वेदनगर रूकुनपुरा, पटना को 34 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर आवेदक की सूची प्रेषित की गयी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़बही एवं संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र को अब तक कुल ₹255894/– का भुगतान किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	चेक संख्या	तिथि	राशि (₹ में)	अभियुक्ति
1	0899770	18.6.2013	154000	अग्रिम की राशि
2	548124	3.8.2015	101894	टूल किट के लिए
			255894	

उक्त संस्था का पता पटना का है और संचिका में ऐसा कोई भी पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संस्था का प्रशिक्षण संस्थान (क्लासरूम, प्रयोगशाला) शेखपुरा में हो और इसके द्वारा शेखपुरा में प्रशिक्षण का कार्य दिलाया गया हो। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 द्वारा नगर निकाय को निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व एवं संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था को प्रशिक्षण कराने का अनुभव, वेसे प्रशिक्षक जिन्हें संबंधित व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव हो, पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला एवं अन्य आधारभूत सुविधा एवं कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर उपलब्ध हो। उक्त पत्र के आलोक में नगर परिषद द्वारा संस्था के पास इन सभी सुविधाओं के होने के संबंध में जॉच कराने का प्रमाण नहीं पाया गया। संस्था द्वारा प्रशिक्षण किस तिथि

को प्रारम्भ किया गया एवं कब पूरा किया गया, इसके संबंध में कोई भी प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11 –927 /न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 एवं संस्था के साथ किये गए एकरारनामा के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था तथा शेष इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार कराने में सहायता करना था। इस संदर्भ में नगर परिषद के पत्रांक 1118 दिनांक 25.10.2013 द्वारा जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र से अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों को अब तक रोजगार से तथा कितने प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, इसका विवरण उपलब्ध कराएँ। साथ ही इस संबंध में में आवश्यक कागजात समर्पित करते हुए सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के विपत्र को भी कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था परन्तु संस्था द्वारा नगर परिषद के पत्र के आलोक में न तो कोई जवाब दिया गया न हीं प्रशिक्षण के उपरांत देय राशि के भुगतान हेतु कोई विपत्र प्रस्तुत किया गया जबकि इस पत्र के जारी होने के दो वर्ष बीत चुके है। संस्था द्वारा विपत्र नहीं समर्पित करने के कारण संस्था को दिनांक 18.6.2013 को दिए गए अग्रिम की राशि ₹154000/– दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद असमायोजित है। संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरण करने हेतु संस्था द्वारा समर्पित विपत्र के आलोक में ₹101894/– का भुगतान किया गया। टूल किट के अभिश्रव के अनुसार कुल 34 टूल किट का भुगतान किया गया जबकि संचिका मे मात्र 18 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित करने का फोटोग्राफ पाया गया। शेष 16 अभ्यर्थियों को टूल किट वितरित किया गया अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने हेतु नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण के लिए टूल किट में सीडी एवं सीडी केस, पेन ड्राइव, संबंधित सॉफ्टवेयर और रिफरेंस बुक ही देने का प्रावधान था परन्तु संस्था को इन सामग्रियों के अलावे बैग, कम्प्यूटर कॉपी एवं पेन का भी भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया जिसकी राशि ₹20060/– थी। यह भुगतान अनियमित भुगतान थी। संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने, प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाने, रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया जिससे कारण प्रशिक्षण में अनियमितता बरते जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र द्वारा शेखपुरा में भाड़ा पर मकान लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया। नगर प्रबंधक द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया गया था। आवेदन मांगा गया था प्रशिक्षण प्रारम्भ करने एवं पूरा करने के संबंध में उपस्थिति पंजी नगर परिषद में उपलब्ध है। निरीक्षण पंजी कार्यालय में उपलब्ध है। संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार से नहीं जोड़ने के कारण पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। टूलकिट वितरित करने के प्रमाण में 16 अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ संस्था से प्राप्त करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाएगा। अंतिम भुगतान

106

के समय ₹20060/– की कटौती कर ली जाएगी। संस्था को प्रमाण पत्र एवं रोजगार मुहैया से संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए पुनः नोटिस दिया जाएगा।

भाड़े पर मकान लेकर प्रशिक्षण दिये जाने के प्रमाण में कोई कागजात न तो संचिका में उपलब्ध था न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे प्रशिक्षण संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं उन्हें रोजगार दिलाये जाने की उच्चस्तरीय जॉच की जाय। जॉच प्रतिवेदन आने तक ₹235294/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है साथ ही टूल किट के मद किये गए अनियमित भुगतान की राशि ₹20600/– संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूला जाय।

2. सैरातों की बंदोवस्ती की राशि जमा नहीं : ₹0.50 लाख

नगर परिषद शेखपुरा द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए श्यामा सरोवर पार्क की बंदोवस्ती उच्चतम डाक वक्ता श्रीमती दखुनमा देवी को ₹351000/– में दी गयी थी। बंदोवस्ती की राशि में से ₹301000/– जमा की गयी परन्तु ₹50000/– बंदोवस्तधारी द्वारा अंकेक्षण अवधि तक जमा नहीं की गयी। उक्त राशि को जमा करने हेतु नगर परिषद द्वारा अपने पत्रांक 155 दिनांक 5.2.2015 द्वारा भेजा गया था। बंदोवस्ती सूचना की शर्त सं0–3 में प्रावधान था कि उच्चतम डाकवक्ता के द्वारा पूरी राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय डाकवक्ता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी। परन्तु शर्तों को उल्लंघन करते हुए पूरी राशि जमा नहीं करने के बावजूद बंदोवस्ती जारी रखी गयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सैरात बंदोवस्तधारी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में बंदोवस्त जारी रखा गया तथा शेष राशि ₹50000/– की वसूली कर ली गयी है।

जवाब मान्य नहीं है। राशि वसूली के संबंध में कोई भी प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अगले अंकेक्षण में ₹50000/– की वसूली से संबंधित प्रमाण दिखाया जाय। तब तक ₹50000 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

ख. पार्क में हाईमास्ट लाइट के मोटर की चोरी

श्यामा सरोवर पार्क में दो हाईमास्ट लाइट के मोटर की चोरी होने की सूचना श्री दयानंद प्रसाद, बिजली मिस्त्री द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को दी गयी थी। उक्त रिपोर्ट के आलोक में पार्क के बंदोवस्तधारी श्रीमती दखुनमा देवी को प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में जानकारी मांगी गयी थी परन्तु कोई जानकारी नहीं दी गयी। साथ ही नगर परिषद द्वारा चोरी के संबंध में न तो प्राथमिकी दर्ज की गयी न ही बंदोवस्तधारी से चोरी हुई मोटर की राशि वसूली गयी। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में की गयी पृच्छा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाय।

ग. **शौचालय की बंदोवस्ती नहीं होने से राजस्व हानि : ₹6000/–**

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए अनुमण्डल परिसर स्थित शौचालय की बंदोवस्ती हेतु नगर परिषद द्वारा क्रमशः बंदोवस्तीसूचना संख्या 09/12–13 एवं ज्ञापांक 13 दिनांक 4.1.2014 द्वारा सूचना प्रकाशित की गयी थी परन्तु किसी भी वर्ष में बंदोवस्ती नहीं हुई । साथ ही विभागीय वसूली भी नहीं की गयी।

जवाब में बताया गया कि बंदोवस्तधारी के नहीं आने के कारण बंदोवस्ती नहीं हो पायी।

उत्तर मान्य नहीं है। यदि बंदोवस्ती नहीं हुई थी तो विभागीय वसूली की जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण नगर परिषद को आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। अतः ₹6000/– की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

3. **मोबाइल टावर पर पंजीयन शुल्क एवं नवीकरण शुक्त बकाया ₹ 2.40 लाख**

बिहार संचार मीनार एवं सम्बन्धित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर परिषद के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये जाने वाले प्रत्येक टावर पर ₹40000/– पंजीयन शुल्क एवं ₹10000/– नवीकरण शुल्क (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए) प्रति टावर की दर से लिए जाने का प्रावधान है। उसके अतिरिक्त एक हीं टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीयन शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क वसूलनीय है। साथ हीं, यह भी प्रावधान है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क यदि देय माह (अप्रैल) में अग्रिम नहीं दिया जाता है तो बिना पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किये संचार टावर स्थापित किया जाना अंवैध होगा। इस स्थिति में नगर परिषद् को मोबाईल टॉवर सील करने का अधिकार प्रदत्त है।

नगर परिषद् शेखपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये संचिका एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर परिषद् शेखपुरा में स्थापित 17 माबाईल टावरों में 6 मोबाइल टावरों के यहॉ पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क के मद में ₹ 2,40,000/– की राशि बकाया थी। साथ ही इन मोबाइल कम्पनियों ये 1.5 प्रतिशत की दर से (प्रति माह) ब्याज की वसूली नहीं की गई थी। संचिका के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि नगर परिषद् शेखपुरा द्वारा बी.एस.एन.एल. के टावरों को इनमें मुक्त रखा गया है। जवाब में बताया गया कि मोबाइल कम्पनियों को बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है पुनः नोटिस जारी किया जाएगा। निर्देशानुसार ब्याज सहित वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसएनएल से पंजीकरण एवं अन्य शुल्क लेने के संबंध में विभाग से दिशानिर्देश मांग कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अतः जवाब के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जाय तथा 240000 वसूल किया जाय।

4. **कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी पूरी राशि नगर परिषद निधि में जमा नहीं :₹3.64 लाख**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की विभिन्न धाराओं एवं बिहार म्युनिसिपल एकाउंटस रूल्स 1928 एवं 2014 में स्पष्ट प्रावधान है कि नगरपालिका मद की वसूली गई राशि वसूलने की तिथि के अगले कार्य दिवस को नगर परिषद कोष में जमा कर देनी चाहिए। परन्तु इन प्रावधानों का उल्लंधन किया गया जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

1104

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में ₹339409/– विभिन्न कर्मियों से नगर परिषद कोष में जमा करवाई गयी।

कर संग्रहकर्ता/कार्यालय कर्मियों द्वारा वसूली गयी राशि में से ₹363954/– नगर परिषद निधि में जमा नहीं की गयी। विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	कर संग्रहकर्ता का नाम सर्वश्री	वसूली गयी राशि जिसे नगर निगम निधि में जमा नहीं की गयी राशि(₹ में)	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि (₹ में)
1	श्री नरेन्द्र कुमार	40358.74	40359
1	बेचू प्रसाद	37905.79	37906
2.	अर्जुन	24546	0
3.	सहदेव कुमार	5684.68	5685
4	मो0 गुलाम शर्फुउददीन खॉ	188459	188459
5	धीरेन्द्र सिंह	28000	28000
6	विक्की आनंद शर्मा	39000	39000
	कुल	363954	339409

(विवरण परिशिष्ट– III पर)

जवाब में यह बताया गया कि अर्जुन प्रसाद को राशि जमा करने हेतु कार्रवेाई की जाएगी। अन्य से वसूली की गई राशि नगर कोष में जमा करा ली गई है।

अतः श्री अर्जुन से ₹24546/– वसूल की जाय तथा वसूली गयी राशि नियमानुसार जमा कराने हेतु आवश्यक कारवाई की जाय।

5– विलंपित

6. जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं होने से राजस्व हानि : ₹ 17.55 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3/यू आई जी– रिफॉर्मस –10/12 – 1250 दिनांक 12.7.13 द्वारा नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति कार्य में व्यय की गयी शत प्रतिशत राशि को वसूलने एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128(i) के आलोक में नगर परिषद क्षेत्रों में जलापूर्ति मद में उपभोक्ता–शुल्क उगाही निर्धारित किया गया जो निम्न प्रकार है –

	उपभोक्ता की श्रेणी		
क	आवासीय	पाईप का ब्यास	न्यूनतम मासिक शुल्क (₹) में
i	बहुमंजिली ईमारत	1/2"	60.00
ii	स्वतंत्र मकान/बंगला	1/2"	90.00
ख	वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी/सांस्थानिक/अन्य	1/2"	450.00
ग	नया जलापूर्ति कनेक्शन		
i	बहुमंजिली इमारत एवं स्वतंत्र मकान	1/2"	1000
ii	वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी/सांस्थानिक/अन्य	1/2" से अधिक	5000

सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त मद में बकाया शुल्क का भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप कनेक्शन कट जाने के उपरांत पुनः चालू करने का शुल्क नगर परिषद क्षेत्र में ₹300/– निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार वर्ष 2013–14 एंवं 14–15 में क्रमशः 328 एवं 310 पानी का कनेक्शन दिया गया था जबकि वर्ष 2012–13 के अंत तक कुल जलापूर्ति कनेक्शन की संख्या 1080 थी। इन कनेक्शन में पाइप की मोटाई 1/2 इंच थी। नगर परिषद द्वारा दिये जा रहे जलापूर्ति कनेक्शन हेतु अलग से किसी पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। इन कनेक्शन में आवासीय एवं वाणिज्यिक श्रेणी में कितने आवास थे, यह स्पष्ट नहीं था। नगर परिषद द्वारा उपभोक्ता शुल्क नहीं वसूले जाने के कारण मासिक शुल्क के रूप में वर्ष 2014–15 के अंत तक कम से कम ₹1755360/–(1080 x60 x20+328x12x60+310x12x60)की आर्थिक हानि हुई।

जवाब में बताया गया कि बोर्ड की बैठक में पारित दर जलापूर्ति उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जा रही है।

जवाब मान्य नहीं है। बोर्ड की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया गया एवं किस दर से राशि वसूली की जा रही है, इससे संबंधित संचिका/विवरण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। नगर परिषद की स्वयं स्त्रोत से आय बढ़ाने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों एवं सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। परन्तु नगर परिषद की उदासीनता के कारण इतनी बड़ी राशि से वंचित रहना पड़ा। अतः ₹1755360/– की हुई हानि संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूला जाय।

7. सी.एफ.एल. बल्ब का कय एवं अधिष्ठापन

सी.एफ.एल. बल्ब के अधिष्ठापन से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक–09.09.2013 को सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 में दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ के अवसर पर वार्डों में प्रकाश व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक वार्डों में पांच नग की दर से कुल 135 नग एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कुल 30 नग सी एफ एल बल्ब लगाने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव के अनुसार पिछले वर्ष निविदा के आधार पर आदित्य इलेक्ट्रिकल्स शेखपुरा द्वारा नगर परिषद के वार्डों में ₹2100/– प्रति 85 वाट सी एफ एल (ओरिएण्ट) की दर से आपूर्ति किया गया था परन्तु इस वर्ष 'आदित्य इलेक्ट्रिकल्स की तबियत खराब हो जाने के कारण अन्य आपूर्तिकर्ता से उसी दर पर कय किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक मे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आदित्य इलेक्ट्रिकल्स से तत्काल 150 नग सी एफ एल बल्ब बिना सेट के निर्धारित निविदा की दर पर आपूर्ति प्राप्त की जाय। समिति की बैठक में एक ओर जहॉ आदित्या इलेक्ट्रिकल्स की तबियत खराब होने की वजह से दूसरे आपूर्तिकर्ता से उसी दर पर कय किये जाने की बात कही गयी वहीं आदित्या इलेक्ट्रिकल्स से तत्काल 150 नग सी एफ एल बल्ब लेने का निर्णय लिया गया जो विरोधाभाष उत्पन्न करता है और संकेत करता है। बाद में दिनांक 12.9.2013 को सम्पन्न नगर परिषद की सामान्य बैठक की

1102

प्रस्ताव संख्या 2 में दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रत्येक वार्ड में 5–5 सी एफ एल बल्ब फुल सेट तथा 5–5 सी एफ एल बल्ब बिना फुल सेट लगाये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2013–14 में बल्ब की आपूर्ति से पहले निविदा आमंत्रित नहीं किया गया।

नगर परिषद के पत्रांक संख्या 999 दिनांक 25.9..2013 द्वारा कुमार दूरदर्शन, शेखपुरा को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से 85 वाट सी एफ एल बल्ब की आपूर्ति करने हेतु उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में आपूर्ति आदेश दिया गया एवं पत्रांक संख्या 1016 दिनांक 1.10.2013 द्वारा आदित्य इलेक्ट्रिकल्स को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से 85 वाट सी एफ एल बल्ब की आपूर्ति करने हेतु उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। उक्त दोनों ही कार्यादेश में बल्ब की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संचिका के अनुसार आदित्य इलेक्ट्रिकल्स एवं कुमार दूरदर्शन को नगर परिषद द्वारा किये गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	चेक संख्या / तिथि	भुगतान की गयी राशि	वैट की कटौती की गयी राशि	10 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि की कटौती	पारित विपत्र की कुल राशि	किसे भुगतान किया गया	सी एफ एल बल्ब की संख्या	अभियुक्ति
1	082218 / 11.11.2013	198151	24869	24780	247800	कुमार दूरदर्शन	118	खोपड़ी सहित ₹2100 / – प्रति बल्ब,
2	082239 / 3.2.2014	67170	8430	8400	84000	तथैव	40	तथैव,
3	082220 / 28.11.13	101115	15167	11235	127517	आदित्य इलेक्ट्रिकल्स	150	ओरिएण्ट
		366436	48466	44415	459317			

अंकेक्षण टिप्पणी

वर्ष 2013–14 में आवश्यक बल्ब का आकलन किए बिना आपूर्ति आदेश दिया गया और आपूर्ति आदेश में आपूर्ति हेतु बल्ब की संख्या भी अंकित नहीं की गयी। दिनांक 09.09.2013 को सशक्त स्थायी समिति द्वारा 165 बल्ब लगाने की स्वीकृति दी गयी थी जबकि 3 दिन बाद परिषद की बोर्ड के द्वारा 135 बल्ब फुल सेट एवं बिना खोपड़ी वाला 135 बल्ब लगाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार अधिकतम 270 बल्ब लगाने की स्वीकृति नगर परिषद के बोर्ड द्वारा दी गयी थी परन्तु नगर परिषद द्वारा फुल सेट वाला 158 एवं बिना खोपड़ी वाला 150 बल्ब की आपूर्ति ली गयी। फलतः 38 (23 + 15) बल्ब की आपूर्ति बोर्ड की स्वीकृति के बिना ली गयी। इस पर ₹61050/- (23x 2100 + 15x850) का व्यय किया गया जो अनियमित है।